संख्या': शिक्षा–एच(21)बी(15)15/2011–वी
शिक्षा निदेशालय(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला– 171001, 27 जून,2011

सेवा में,

समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः **हरिजन और गिरिजन प्रतिबन्धित शब्दों का प्रयोग न करने बारे** एवं छुआछूत के अभ्यास को बढावा न देने बारे ।

ज्ञापनः

जैसा कि आपको भलि भांति अवगत होगा कि भारत सरकार द्वारा हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा उन्हीं आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी पत्र संख्याः शिक्षा–एच(21)3/2008–बैठक–भाग–1 दिनांक 12 सितम्बर,2008 को पाठशालाओं में प्रातःकालीन सभाओं में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग बच्चों को छात्रवृत्ति सम्बन्धी दिशा–निर्देश देने के लिए खड़ा न करने तथा पाठशालाओं में हरिजन/गिरिजन जैसे शब्दों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते है कि अपने अधीनस्थ सभी पाठशालाओं को दिशा निर्देश जारी करें कि पाठशालाओं में हरिजन/गिरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिससे बच्चों में हीनता की भावना न उत्पन्न हो तथा विद्यार्थियों में भी दलित बच्चों के प्रति भेदभाव की भावना उत्पन्न न हो पाए ।

इसके अतिरिक्त छुआछूत की प्रवृति को भी बढ़ावा न देने बारे दिशा निर्देश जारी किए जाए । यदि ऐसा कोई मामला अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में आता है तो उसके विरूद्ध त्वरित विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्याः सम् शिमलाः 171001, 27जून, 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतुः

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 ।
2. अधीक्षक स्थापना शाखा–एक को दिनांक 28.04.2011 को अनुसूचित जाति/ जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ के सन्दर्भ में ।
3. रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।